निर्णय व इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या : 16/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
मूलचन्द पुत्र सुवा जाति माली निवासी ढाणी गैसकान, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुनील शर्मा आर ए एस पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर।
2. मनोज कुमार पिता मु. राधेश्याम
3. बाबूलाल पुत्र भूराराम जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी गैसकान, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
4. हीरा देवी पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासी ढाणी गैसकान, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

5. धर्मेन्द्र पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी ग्राम गैसकान तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
6. रामेश्वर पुत्र सुवा
7. छोटूराम पुत्र सुवा
8. हरिराम पुत्र सुवा
9. मदन पुत्र सोवा (फोत)
10. शान्ति देवी पत्नी मदन
11. दीपक पुत्र मदन
12. मनीषा पुत्री मदन
13. पूजा पुत्री मदन नाबालिग जरिये संरक्षक माता शान्ति देवी पत्नी मदन
14. धीरज पुत्र मदन नाबालिग जरिये संरक्षक माता शान्ती देवी पत्नी श्री मदन
15. पांचूराम पुत्र सुवा
16. राजू पुत्र सुवा
17. मालीराम पुत्र मूलचन्द

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम गैसकान, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

18. अनिल पुत्र प्रभू दयाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गैसकान तहसील, विराटनगर, जिला जयपुर ।

तरतीबी अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 22/2019 व उनवानी सुवालाल व अन्य बनाम मनोज कुमार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय व इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 16/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मूलचन्द पुत्र सुवा जाति माली निवासी ढाणी गैसकान, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुनील शर्मा आर ए एस पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर।
2. मनोज कुमार पिता मु॰ राधेश्याम
3. बाबूलाल पुत्र भूराराम जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी गैसकान, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
4. हीरा देवी पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासी ढाणी गैसकान, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

5. धर्मेन्द्र पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी ग्राम गैसकान तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
6. रामेश्वर पुत्र सुवा
7. छोटूराम पुत्र सुवा
8. हरिराम पुत्र सुवा
9. मदन पुत्र सोवा (फोत)
10. शान्ति देवी पत्नी मदन
11. दीपक पुत्र मदन
12. मनीषा पुत्री मदन
13. पूजा पुत्री मदन नाबालिग जरिये संरक्षक माता शान्ति देवी पत्नी मदन
14. धीरज पुत्र मदन नाबालिग जरिये संरक्षक माता शान्ती देवी पत्नी श्री मदन
15. पांचूराम पुत्र सुवा
16. राजू पुत्र सुवा
17. मालीराम पुत्र मूलचन्द

    समस्त जाति माली, निवासी ग्राम गैसकान, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
18. अनिल पुत्र प्रभू दयाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गैसकान तहसील, विराटनगर, जिला जयपुर ।

तरतीबी अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 22/2019 ब उनवानी सुवालाल व अन्य बनाम मनोज कुमार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर
जयपुर

उपस्थितः–

1. श्री बनवारी लाल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री प्रेम प्रकाश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 14.02.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष प्रकरण संख्या 22/2019 ब उनवानी सुवालाल व अन्य बनाम मनोज कुमार व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश शर्मा उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उक्त वाद में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत होने के पश्चात प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जबाब प्रार्थना पत्र बिना कोई सुनवाई किये बिना कोई बहस किये ही अप्रार्थी संख्या 2 व 4 द्वारा गांव में यह कहा जा रहा है कि उक्त वाद में हमारे पक्ष में ही फैसला होगा और हमारे प्रार्थना पत्र के आधार पर ही उक्त वाद खारिज कर दिया जायेगा। जिस पर प्रार्थीगण ने अपने अभिभाष्य से सम्पर्क किया तो अभिभाषक ने प्रार्थी को बताया कि प्रकरण में अभी आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के आवेदन पर किसी प्रकार की बहस ही नहीं सुनी गई तो निर्णय तुम्हारे विपरीत होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। दिनांक 17.01.2022 को जब प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित हुआ तो अप्रार्थी संख्या 2 व 4 अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर से बाहर आये और प्रार्थी को धमकी देने लगे की पीठासीन अधिकारी से हमारी बातचीत हो चुकी है और शीघ्र हमारे पक्ष में निर्णय हो जायेगा और प्रार्थी ने अविलम्ब अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थी संख्या 2 व 4 की धमकी के बारे में बताया तो पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी को धमकी दी की आप मेरे चैम्बर से बाहर हो जाओ । तुम्हारा दावा मै शीघ्र ही खारिज कर दूंगा। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी कोइ रूची लेकर कार्यवाही नही कर रहे और उक्त प्रकरण को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए छोटी छोटी तारीख पेशियां दे रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 व 4 प्रभावशाली व राजनैतिक पहुंचा वाले व्यक्ति है तथा आर्थिक आधार पर भी सुदृढ है तथा आये दिन गांव में प्रार्थी को धमकी देते है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से जानकारी है और शीघ्र ही यह मुकदमा अपने पक्ष में करवायेंगें । तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते हो।

जिला कलक्टर
जयपुर

[illegible]

5. [illegible]

6. उभय पक्ष के [illegible] अधिवक्ता को [illegible] सुना गया। पत्रावली का [illegible] अवलोकन किया गया।

7. [illegible]

8. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 22/2019 [illegible] उपखण्ड अधिकारी [illegible] में [illegible] किया जाता है।

9. पक्षकारान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 28.02.2022 को उपस्थित हों। उपखण्ड अधिकारी [illegible] प्रकरण दर्ज कर [illegible] निस्तारण करें।

10. निर्णय की प्रति [illegible] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible] को प्रेषित हो। पत्रावली [illegible]

11. निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को [illegible] सुनाया गया।

[illegible]
जिला कलक्टर
[illegible]